कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः–1115 FP/UK/ROAD/31858/2018 दिनॉकः देहरादून 13 अक्टूबर 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून ।

विषयः– जनपद–उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत देवीधार–धनारी–फोल्ड मोटर मार्ग से सन्ताणगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 2.05 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। FP/UK/ROAD/31858/2018

सन्दर्भः–भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के 8बी0/यू0सी0पी0/06/2014/2019/एफ0सी0/1417 दिनांक 30.09.2020 द्वारा वांछित सूचना।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार की ई0डी0एस0 **दिनांक 30–09–2020** के क्रम में चाही गयी सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	उपरोक्त विषय पर सदर्भित पत्र का आश्य ग्रहण करते हुए प्रस्ताव पर ध्यान पूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बिन्दु सं0 06 व 07 के प्रतिउत्तर में यह प्रस्तुत किया गया है कि मलबा निस्तारण के लिये क्षेत्र का विवरण पैरा 2.4 का और मलवा निस्तारण के लिये क्षेत्र योजना में सही किया गया है। यह पाया गया है कि मलवा निस्तारण योजना के लिये चयनित क्षेत्र आरक्षित वन भूमि में 0.16 और गैर वन भूमि में 0.9 है0 है। परन्तु पैरा बी में 2.4 पर भरे गये विवरण के अनुसार वन भूमि में पूर्ण 0.25 है0 क्षेत्र शामिल उल्लेखित है। राज्य सरकार विवरण में इस विसंगति को स्पष्ट करें और इस सम्बन्ध में सही जानकारी प्रस्तुत करें।	प्रस्ताव विभाग द्वारा बिन्दु संख्या–6 एवं 7 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि संशोधित मक डिसपोजल प्लान ऑनलाईन Additional information में अपलोड कर दिया गया है व स्पष्ट किया गया है कि याचक विभाग द्वारा 125X20 मीटर साईज अर्थात 0.25 है0 क्षेत्र फ0 का मक डग्पिंग यार्ड आरक्षित वन भूमि में चयनित किया गया है एवं इसके अतिरिक्त दूसरा 45X20 मीटर साईज अर्थात 0.09 है0 क्षे0फ0 का मक डग्पिंग यार्ड नाप भूमि में चयनित किया गया है।

संलग्नक–यथोपरि।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

15/10/20

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

ok